UPHR010017212026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ०टी०सी०/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), हरदोई।

जमानत प्रार्थना पत्र सं०– 791/2026

1. रोहित पुत्र पप्पू

2. अंकित पुत्र शम्भू

निवासी ग्राम बरौली थाना बघौली जिला हरदोई।

..................................प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

सरकार .... अभियोगी

मु०अ०सं० – 68/2026

धारा – 3(1) उ०प्र० गिरोह बंद एवं समाज विरोधी

क्रिया–कलाप निवारण अधिनियम–1986

थाना –बघौली, जिला – हरदोई।

दिनांकः 28.03.2026

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण **रोहित एवं अंकित**, जो **मु०अ०सं० 68/2026, धारा – 3(1) उ०प्र० गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया–कलाप निवारण अधिनियम–1986, थाना –बघौली, जिला हरदोई** के अंतर्गत न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ बब्लू पुत्र शम्भू का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार सूचनाकर्ता प्र०नि० श्री बृजेश कुमार मिश्रा ने दिनांक – 25.02.2026 को थाना –बघौली, जिला–हरदोई जुबानी प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की अंकित करायी कि रोहित ने एक संगठित गिरोह बना रखा है जिसके अंकित, राजबहादुर ये सभी गैंग के सदस्य है। इस गैंग का मुख्य कार्य जैसे जघन्य अपराध करके जनता में भय व्याप्त करके अपने भौतिक लाभ हेतु जनता में भय एवं आतंक व्याप्त कर जघन्य अपराध करते हुए धन अर्जित करते हैं जिनके विरुद्ध जनता का कोई भी व्यक्ति रिपोर्ट लिखवाने व गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता। इनके विरुद्ध विभिन्न थानों पर कई मुकदमें पंजीकृत हैं। अतः इनके विरूद्ध समाज विरोधी क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखने हेतु कार्यवाही किया जाना नितान्त आवश्यक है, इसके हेतु इनके विरुद्ध धारा 3(1) उ०प्र० गिरोह बन्द एवं समाज विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

Digitally signed by BHUPENDRA PRATAP
Date: 2026.04.01 16:14:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत के संबंध में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, "प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीगण के विरूद्ध गैंग चार्ट में वर्णित किसी भी अपराध का उल्लेख नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के साथ संलग्न गैंग चार्ट में प्रार्थीगण के विरुद्ध पूर्व में अंकित एकमात्र मुकदमा अ०सं० 17/2025 अं०धारा 304(2),317 (2) बी०एन०एस० की प्रथम सूचना रिपोर्ट गैंग चार्ट अनुमोदन हेतु सी०ओ०/एड०एस०पी०/ पुलिस अधीक्षक / जिला मजिस्ट्रेट के पास नहीं भेजी गई है। प्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त एकमात्र मुकदमें के आधार पर गैंगस्टर अधि० की कार्यवाही की गई है जो नितान्त गलत व असत्य तथ्यों पर की गई है। प्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमा वादी मनमोहन यादव द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध कामय कराया गया था तथा मुकदमें की विवेचना उपनिरीक्षक मुरली सिंह यादव के द्वारा गलत तरीके से की गई है। उक्त मुकदमें के विवेचक ने प्रार्थीगण को घर से पकड़ लाए और झूठी गिरफ्तारी करके वादी मुकदमा को बुलाकर पहचान कराई जोकि कानूनन गलत है अज्ञात अपराधियों की गिरफ्तारी वापर्दा होनी चाहिए तथा उनकी शिनाख्त कानूनन जिला कारागार में मजिस्ट्रेट के समक्ष Identification Parade में होनी चाहिए। ऐसा विधिक रूप से अनिवार्य है उनके द्वारा गलत साक्ष्य बनाकर आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त मुकदमें के विवेचक ने प्रार्थीगण का गांव चौकी थाना बघौली में ही आता है वहां के प्रधान राजेन्द्र के कहने पर पार्टीबन्दी की वजह से झूठा फंसाया है और वर्तमान प्रधान के कहने पर उक्त झूठे मुकदमें के आधार पर थानाध्यक्ष बघौली के द्वारा उसके विरूद्ध मुकदमा की रिपोर्ट लिखाई गयी है। प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही इस मुकदमें में दर्ज होने के पूर्व में धारा 4 (ए) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही स्थानीय पुलिस के द्वारा कभी भी नहीं की गई उनके विरूद्ध कोई मुकदमा धारा 107,108,109 व 110 सीआर०पी०सी० वर्तमान में धारा 126,127,128 व 129 के तहत कार्यवाही थाना पर पंजीकृत नहीं हुआ है। प्रार्थीगण यदि कोई जनपदीय गिरोह चला रहे थे उस स्थिति में थाना बघौली में उसके विरूद्ध यू०पी०पुलिस रेग्युलेशन के अध्याय 20 के पैराग्राफ 253 व 254 के तहत क्षेत्र में किसी प्रकार के प्रचलित गिरोहों के विरुद्ध थाने में बनाए गये गैंग रजिस्टर (फार्म-45) की रिपोर्ट थानाध्यक्ष बघौली को गैंग चार्ट बनाए जाने एवं उसके अनुमोदन के पूर्व उसकी रिपोर्ट संलग्न न करके फर्जी एवं झूठी रिपोर्ट तैयार करके गैंग चार्ट का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है जो विधि सम्मत नहीं है। थाना बघौली पर कोई गैंग रजिस्टर में उनका नाम अंकित नहीं है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की कथित संयुक्त मीटिंग में इन तथ्यों का विचार न करके गलत तरीके से सरसरी तौर पर अनुमोदन पर अपने हस्ताक्षर बनाए हैं उक्त अनुमोदन उनके द्वारा न तैयार किया गया है और न ही उसके तैयार करने का Dectation उनके किसी को दिया गया है गैंग चार्ट के अनुमोदन उनके हस्तलेख में नहीं है। उक्त अनुमोदन समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय व विशेष सचिव गृह द्वारा जारी निर्देशों के विपरीत है तथा कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है कोई भी संयुक्त मीटिंग नहीं की गई है। प्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय में Remand प्राप्त करने के

समय प्रस्तुत गैंग चार्ट एक मुकदमा अ0सं0 17/2025 अं०धारा 304 (2), 317(2) बी०एन०एस० का आरोप पत्र थाना बघौली की पुलिस के द्वारा 05.02.2025 को न्यायालय में प्रस्तुत करना कहा गया है जो नितान्त झूठ व असत्य है आरोप पत्र 05.02.26 को प्रार्थीगण के विरूद्ध नही प्रस्तुत किया गया है झूठी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के यहां आरोप पत्र दि० 03.10.25 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण का कोई भी संगठित गिरोह नहीं चला रहे हैं और न ही वह कोई अभ्यस्त अपराधी ही है और न ही उनके द्वारा समाज में किसी तरह का भय व्याप्त करने का कोई कार्य ही किया जा रहा है। प्रार्थीगण ने किसी प्रकार का कोई भी अनुचित लाभ व भौतिक लाभ के लिए कोई कार्य नहीं किया है उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं गैंग चार्ट में वर्णित तथ्य असत्य व झूठे व निराधार हैं। प्रार्थीगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है और न ही अपराध करने का कोई हेतुक ही है उनके विरूद्ध असत्य व निराधार व झूठी रिपोर्ट मनगढन्त तथ्यों पर दर्ज कराई गई है। प्रार्थीगण निर्दोष है उनका कोई भी अपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी अंकित लखनऊ में शटरिंग का कार्य करता है तथा उसका मोबाइल नं0 8176092868 है तथा रोहित लुधियाना में सिलाई कढ़ाई का कार्य करता है उसका मोबाइल नं0 8542055035 है वह लोग गांव में नहीं रहते हैं यदि न्यायालय चाहे तो उसकी पुष्टि उनकी कॉल डिटेल की लोकेशन से हो सकती है। प्रार्थीगण के कथित झूठी गिरफ्तारी के पूर्व प्रार्थीगण के गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति ओम प्रकाश मिश्रा के मो0नं0 9956737500 पर थाना बघौली के चौकी इंचार्ज एस०आई० राकेश यादव के द्वारा मो0नं0 9984824363 से दिनांक 05.03.26 को अपरान्ह लगभग 2.59 पर फोन करके प्रार्थीगण को उसके पिता के साथ भेजने को कहा गया। प्रार्थीगण के पिता प्रार्थीगण को लेकर चौकी बघौली चौराहा गये। वहां पर चौकी इंचार्ज ने उनको पकड़कर थानाध्यक्ष बघौली ब्रजेश कुमार मिश्रा को दे दिया जिसकी कॉल डिटेल की पेन ड्राइव उनके पास है जो न्यायालय में सुनी जा सकती है। थाना प्रभारी बघौली ने मुकदमे के विवेचक थाना प्रभारी कछौना जो इस मुकदमें के विवेचक हैं उनको हिरासत में थाना बघौली पर दे दिया है मुकदमें के विवेचक ने प्रार्थीगण की झूठी गिरफ्तारी लखनऊ रोड डबल नहर पुलिया पर दिखाई है जो असत्य है व झूठी व मनगढन्त है। प्रार्थीगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है उनको झूठी गाव की पार्टीबन्दी की वजह से फंसाया है वर्तमान गांव के प्रधान राजेन्द्र प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रार्थीगण का परिवार उनका विरोध करते हैं इस कारण उन्होंने थानाध्यक्ष बघौली से मिलकर व साजिश करके उनके विरूद्ध झूठा मुकदमा उनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए रंजिशन कायम कराया है। प्रार्थीगण शान्तिप्रिय कम उम्र के हैं उनका भविष्य बर्बाद हो जायेगा। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जमानत प्रथम है। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में न तो प्रस्तुत किया है और न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। अतः निवेदन किया गया कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाए।"

4. आवेदक/अभियुक्त के तर्कों के निवेदन का विरोध करते हुए विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने निम्न कथन कियाः –

(i) आवेदक अपने सह अभियुक्तों के संग एक संगठित गिरोह का सदस्य है, जिसका सरगना अभियुक्त कौशल गुप्ता है। जो जघन्य अपराध करके जनता में भय व्याप्त करके अपने भौतिक लाभ हेतु जनता में भय एवं आतंक व्याप्त करके जघन्य अपराध करते हुए धन अर्जित करते हैं, जिनके विरुद्ध जनता का कोई व्यक्ति रिपोर्ट लिखवाने व गवाही देने के लिये तैयार नहीं होता।

(ii) गैंग चार्ट में आवेदकगण के विरुद्ध कुल 1 अपराधिक मुकदमा पंजीकृत है।

(iii) गैंग चार्ट में वर्णित सभी अपराधों में आवेदक के पक्ष में जमानत का आदेश होना, वर्तमान प्रकरण में जमानत देने का एक मात्र आधार नहीं हो सकता है।

(iv) गिरोहबंद अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रावधान है कि ''उक्त अपराध के अंतर्गत यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो उसे तब तक जमानत पर नहीं छोड़ा जायेगा जब तक कि (क) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता और (ख) जहाँ लोक अभियोजन आवेदन का विरोध करता है, वहाँ न्यायालय का समाधान हो जाये कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि यह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।'' वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई आधार नहीं है, जिससे इस न्यायालय को वांचित समाधान हो जाये। अतः वर्तमान जमानत पत्र निरस्त किया जाये।

<u>जमानत की विधिः–</u>

5. (i) विधि का सिद्धान्त है कि ''जमानत नियम और जेल अपवाद है''। जमानत न तो किसी यांत्रिक आदेश से स्वीकार या अस्वीकार ही की जा सकती है, क्योंकि यह न केवल उस व्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही चल रही है, परन्तु यह दण्ड न्याय प्रणाली के हित से भी संबंधित है और यह भी सुनिश्चित करना है, कि अपराध करने वालों को न्याय में बाधा डालने का अवसर न दिया जाये।

(ii) जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को कुछ कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला का होना, आरोप की गंभीरता और प्रकृति, आरोप सिद्ध होने की स्थिति में सजा की कठोरता, अनुपूरक साक्ष्य की प्रकृति, न्यायालय की आरोप के लिये प्रथम दृष्टया संतुष्टि, आरोपी की हैसियत व पद, अभियुक्त की न्याय से भागने और अपराध को दोहराने की संभावना, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना, शिकायतकर्ता और गवाह को धमकी की आशंका और अपराधी का अपराधिक इतिहास जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को मामले के अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता व स्थिरता के गुण–दोष की जांच सघनता से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यह केवल परीक्षण के दौरान ही जांचा जा सकता है। समता जमानत

का एकमात्र आधार तो नहीं है, परन्तु यह उपरोक्त पहलुओं में से एक हो सकता है, जो अनिवार्य रुप से जमानत के आवेदन पर विचार करते समय विचारणीय होने चाहिए।

(iii) यह अविवादित है, कि जमानत देना या न देना, ये उस न्यायालय का विवेकाधिकार है, जो इस मामले की सुनवाई कर रहा है। हालांकि यह विवेकाधिकार निर्बाध है। परन्तु इसका उपयोग न्यायसंगत, मानवीय व सहानुभूति पूर्वक ही किया जाना चाहिए न कि मनमाने तरीके से। जमानत स्वीकार या अस्वीकार करने के आदेश में कारणों को प्रथम दृष्ट्या इंगित करना चाहिए, हालांकि गुण–दोष पर साक्ष्य की विस्तृत जांच और विस्तृत दस्तावेजीकरण को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। जमानत की शर्ते इतनी भी सख्त नहीं होनी चाहिए की उसका अनुपालन करना ही अक्षम हो जाये, जिससे जमानत ही काल्पनिक न हो जाये।

''गिरोहबंद अधिनियम'' के अन्तर्गत जमानत की विधिः–

6. (i) वर्तमान प्रकरण में आवेदक के विरुद्ध ''गिरोहबंद अधिनियम'' के अन्तर्गत अपराध पंजीकृत किया गया है। यह अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, जो निम्न उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है :–

''गिरोहबंद और समाज–विरोधी क्रियाकलाप को रोकने और उनका सामना करने के लिए और उनसे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए अधिनियम''

(ii) गिरोहबंद अधिनियम, जो एक विशेष अधिनियम है, के अन्तर्गत जमानत देने से पूर्व, सक्षम न्यायालय का दो स्थितियों पर समाधान करना अनिवार्य है, जो अधिनियम की धारा–19(4) में वर्णित हैं। जो इस प्रकार है–

''19. (1) xxxx

(2) xxxx

(3) xxxx

(4) संहिता में किसी बात के होते हुए भी. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके अपने बन्ध–पत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जायेगा, जब तक कि–

(क) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का समाधान हो जाये कि यह विश्वास करने का युक्ति युक्त आधार है कि यह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है।

(5) **उपधारा** (4) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर करने के बारे में निर्बधन, संहिता के अधीन निबंधनों के अतिरिक्त होंगे।''

(iii) धारा 19 (4) (ख) को अधिनियमित करने का उद्देश्य अधिनियम के तहत जमानत आवेदनों पर विचार करने वाले न्यायालयों को दिशानिर्देश प्रदान करना है। यह इस तथ्य का संकेत है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध गंभीर प्रकृति का है और इसलिए, न्यायालय को जमानत देने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह समाधान हो जाये कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और उसके जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

(iv) इस अधिनियम में जमानत के आवेदन का निस्तारण करते समय न्यायालय द्वारा इन परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रावधान का अनुपालन केवल एक औपचारिकता नहीं होना चाहिए, बल्कि न्यायालय को गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत जमानत याचिका पर विचार करते समय, इस प्रावधान का ध्यान अनिवार्य रूप से करना चाहिये तथा आदेश मे परिलक्षित भी होना चाहिए, चाहें वो संक्षिप्त ही क्यों न हो।इस प्रावधान को किसी भी दशा में अनदेखा नहीं किया जाना चाहिये।

विश्लेषणः–

7. (i) अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदकगण का आपराधिक इतिहास वर्णित किया है, जो निम्न हैः–

(1) मु०अ०सं० – 17/2025, धारा – 304(2)/317(2) बी०एन०एस०, थाना –बघौली, जनपद – हरदोई।

(ii) उपरोक्त से प्रथम दृष्टया यह विदित होता है कि आवेदकगण एक ऐसे गिरोह के सदस्य हैं, जो अकेले या सामूहिक रूप से समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हैं, जो भारतीय दण्ड संहिता 1860 (भा०दं०सं०) के अध्याय 16 या अध्याय 17 या अध्याय 22 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित करते है। प्रथम दृष्टया वर्तमान स्थिति में इस न्यायालय को यह समाधान होने का कि यह विश्वास करने का कोई युक्ति युक्त आधार नहीं है कि आवेदकगण ऐसे अपराध के दोषी नहीं है।

(iii) पत्रावली पर ऐसा कोई युक्ति युक्त आधार नहीं है कि, इस न्यायालय को यह समाधान हो सके कि आवेदकगण के जमानत पर रहते समय उनके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नहीं है।

(iv) इसके अतिरिक्त आवेदकगण के पक्ष द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि आवेदकगण को गैंग तालिका में उल्लिखित एक अपराध में जमानत दी जा चुकी है अतः वर्तमान प्रकरण में केवल इसी आधार पर आवेदकगण जमानत के अधिकारी हैं इस तर्क को भी संबोधित करना आवश्यक है। जैसा पूर्व में कहा गया है कि गिरोहबन्द अधिनियम एक विशिष्ट अधिनियम है, जिसमें जमानत देने के संबंधित विशेष प्रावधान बनाये गये हैं, जो धारा

19(4) (ख) में वर्णित हैं। उन प्रावधानों का अनुपालन करे बिना इस अधिनियम के अंतर्गत जमानत नहीं दी जा सकती है। अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रावधान दंड संहिता के अधीन जमानत मंजूर करने के बारे में दिये गये निबन्धनो के अतिरिक्त है, और जैसा पूर्व में जमानत की विधि का विश्लेषण किया गया है जिसमें जमानत मंजूर या नामंजूर करते समय कुछ कारको का ध्यान रखना आवश्यक है, उसमें अभियुक्त का अपराधिक इतिहास भी एक महत्वपूर्ण कारक है। आवेदकगण का यह तर्क आधारहीन है तथा किसी भी विधिक प्रावधान या विधिक दृष्टांत से समर्थित नहीं है। अगर आवेदकगण का यह तर्क मान लिया जाये तो गिरोहबन्द अधिनियम व धारा 19 (4) (ख) का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह स्थिति जमानत मंजूर करने का एक कारक तो हो सकता है, परन्तु एकमात्र कारक नहीं हो सकता।

निष्कर्षः–

8. (i) उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि, गिरोहबंद अधिनियम की धारा 19 (4) (ख) में वर्णित जमानत देने के पूर्व दो स्थितियों जिनका समाधान होना अनिवार्य है, वर्तमान प्रकरण में अनुपस्थित है। अतः वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आवेदकगण **रोहित एवं अंकित** द्वारा प्रस्तुत वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

दिनांक 28.03.2026

(भूपेन्द्र प्रताप)
अपर सत्र न्यायाधीश/एफ०टी०सी०/
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), हरदोई।
जे०ओ० कोड–UP 1813